न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
210/21	30.12.21	31.1..22

<u>उनवान</u>

1. फज्जर खां पुत्र लालजी जाति मेव निवासी लालपुरी तहसील किशनगढबास

:–वादी

<u>बनाम</u>

1. अलीमोहम्मद पुत्र श्री सिताब खां उम्र 50 साल
2. सुमरदीन पुत्र बसारत खां
3. उमरदीन पुत्र बसारत खां

4 हाकमदीन पुत्र बसारत खां

5 ताहिर पुत्र बसारत खां जाति मेव निवासी लालपुरी तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

6 तहसीलदार, भुमिधारी किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगणः–

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः–1. श्री खुर्शीद अहमद वादी की ओर से।

2. प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा

<u>निर्णय 31.1.22</u>

आज प्रकरण हमारे समक्ष पेश हुआ। दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– आराजी ख0न0 328/378 रकबा 0.1500 हे0, 336 रकबा 2.4300 हे0 किता 02 कुल रकबा 2.5800 हे0 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढबास में वादी ने दावा इश्तकराहक मय तकासमा मय दुरूस्ती पेश किया है। जो दिनांक 23.3.13 को प्रारम्भिक डिकी किया जाकर मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार फाईनल डिकी दिनांक 24.6.14 को किया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी पक्ष ने माननीय न्यायालय भू–प्रबधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर को पेश की गई । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.21 को अपील स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 24.6.14 को खारिज कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 9.11.21 के अनुसार पुनः प्रकरण में कुर्रे कायमी तैयार करवाकर अंतिम डिकी पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)